

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्या-एम0ई0-3 / यू0जी0-2024 / 2937

लखनऊ दिनांक 26 दिसम्बर, 2024

यू0पी0 नीट यू0जी0-2024 के अन्तर्गत स्पेशल स्ट्रे-वैकेन्सी राउण्ड-3 की ऑनलाइन काउन्सिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

1. निजी क्षेत्र में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के आवंटन-पत्र पर प्रवेश हेतु कालेज / नोडल सेन्टर के नाम अंकित है।
2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया नोडल सेन्टर पर पूर्ण की जायेगी।
3. निजी क्षेत्र डा0 बी0एस0 कृशवाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, कानपुर में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया नोडल सेन्टर, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल, कानपुर में पूर्ण की जायेगी।
4. प्रवेश के समय निम्नांकित अभिलेख मूलरूप में जमा किया जाना अनिवार्य हैं :-
 - यू0पी0 नीट यू0जी0-2024 का आवंटन पत्र
 - नीट यू0जी0-2024 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड
 - हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र
 - आरक्षण से संबंधित प्रमाण-पत्र (आवश्यकतानुसार)
 - डोमिसाइल प्रमाण-पत्र (आवश्यकतानुसार)
 - पहचान पत्र (आधार कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट)
5. निजी क्षेत्र के कालेजों के लिए आवंटन-प्राप्त अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, (Director General, Medical Education & Training, U.P. payable at Lucknow) के पक्ष में निर्गत किया गया हो, नोडल सेन्टर पर जमा किया जाना अनिवार्य हैं।
6. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का कालेज / नोडल सेन्टर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य हैं।
7. शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों के फी-स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट <https://upneet.gov.in> एवं www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।
8. यू0पी0 नीट यू0जी0-2024 की ऑनलाइन काउन्सिलिंग से निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों के सापेक्ष आवंटित छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 से 30 दिसम्बर, 2024 के मध्य पूर्ण की जायेगी।
9. यदि कोई अभ्यर्थी स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड-3 से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू0पी0 नीट यू0जी0 काउन्सिलिंग 2025-26 के लिये प्रतिबंधित(Debar) कर दिया जायेगा।
10. अद्यतन/महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय-समय पर विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in एवं <https://upneet.gov.in> का निरन्तर अवलोकन करते रहे।


कृते महानिदेशक।